सं. ओ. वि. भिवानी/81-87/28473.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, भिवानी, के श्रमिक श्री शेर सिंह सुपुत्र श्री जसराम, गांव इमलोटा, जिला भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम; 478/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री शेर सिंह, ड्राईवर की सेवा समाप्ति/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि. रोहतक/71-87/28481.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक के श्रमिक श्री अशोक कुमार, सुपुत्र श्री मंगल चन्द, मकान नं. 247, कालन मोहल्ला, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स. 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री अशोक कुमार, कन्टीन हैल्पर की सेवा समाप्ति/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि. रोहतक/70-87/28489.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक, के श्रमिक श्री सत्यवान, सुपुत्र श्री रघबीर सिंह गांव व डा. सिंघपुरा कलां तहसील व जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सत्यवान, हैल्पर की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गेर-हाजिर हो कर नौकरी से लियन खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ. वि. हिसार/4-87/28497.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) रजिस्ट्रार, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, (2) हैड आफ डिपार्टमैन्ट, एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, के श्रमिक श्री सज्जन कुमार, सुपुत्र श्री उमादत्त मार्फत श्री दरिया सिंह, मकान नं. 171, फ्रैण्डज कालोनी, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/325743, दिनांक 6

नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सज्जन कुमार, सहायक ड्राफ्ट्समैन की सेवा समाप्ति/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./87/28505.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. आहूजा जनरल इण्डस्ट्रीज, 17–डी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अन्तु राम, मकान नं. 2964, जवाहर कालोनी फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले हैं के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री अन्तु राम की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर होकर नौकरी से लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ;

सं. ओ. वि. एफ. डी./122-86/28512.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. डी.एफ.ओ. फरीदाबाद फोरैस्ट डिविजन कोठी नं. 626, सैक्टर 16–ए, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वजिन्द्र कुमार, सुपुत्र श्री राम चन्द्र, गांव मंडोला डा. मंडोला तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामला के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री वजिन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. एफ.डी./69–87/28519.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० हाईपोलिमर लेवल प्लाट नं० 8 सैक्टर 25, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री करन सिंह, पुत्र श्री धनी राम मार्फत सीटू 2/7, गोपी कालोनी ओल्ड फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री करन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार हकदार है ?